UPPG010010482026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–अंकिता दुबे (एच०जे०एस०) जे०ओ० कोड–UP 1713

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 427/2026

सुनील उर्फ मैचू उम्र 22 वर्ष सुत आद्याप्रसाद, निवासी ग्राम– भंगवा थाना कोतवाली नगर, जिला–प्रतापगढ़।

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...अभियोगी

अपराध सं0–11/2026
धारा–64(2)(m),352, 127(2), 351(2), 115(2)बी.एन.एस. व 67 आई.टी.एक्ट
थाना–कोतवाली नगर, जिला–प्रतापगढ़।

दिनांक 06.03.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **सुनील उर्फ मैचू** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–11/2026,धारा–64(2)(m),352,127(2),351(2),115(2)बी.एन.एस. व 67 आई.टी.एक्ट, थाना–कोतवाली नगर, जिला–प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–08.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी लक्ष्मी पत्नी रंजीत कुमार पुत्री माता प्रसाद हाल मुकाम–चकबन तोड़, सगरा, थाना–कोतवाली नगर, जिला–प्रतापगढ़ की निवासिनी है। प्रार्थिनी का विवाह दिनांक– 11 जून, 2017 को रंजीत कुमार के साथ सम्पन्न हुई थी। उभय पक्ष के नुत्फे से एक पुत्र वर्ष 2021 में उत्पन्न हुआ। प्रार्थिनी के पति बेरोजगार हैं, रिक्शा चलाकर जीवनयापन करते हैं। वर्ष 2021 से ही प्रार्थिनी अपने परिवार सहित माता–पिता के साथ ग्राम– चकबनतोड में रहने लगी। प्रार्थिनी के घर सुनील उर्फ मैचू पुत्र अद्या प्रसाद निवासी ग्राम– भंगवा आया– जाया करता था। वर्ष 2022 में सुनील ने प्रार्थिनी को डरा धमका कर असलहे की नोक पर प्रार्थिनी का अश्लील वीडियो बनाया चूँकि प्रार्थिनी के माता–पिता मजदूरी करते और बाहर रहते है और बार– बार अभियुक्त द्वारा प्रार्थिनी के साथ दुष्कर्म करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थिनी के विरोध करने व मना करने पर प्रार्थिनी का अश्लील वीडियों वायरल करने की धमकी आये दिन देता रहता था। सुनील किराये का मकान लेकर मलियान प्रतापगढ़ सिटी, प्रतापगढ़ में रहता था और दिनांक– 16.12.2025 को सुनील सुबह 9:00 बजे प्रार्थिनी के घर आया और प्रार्थिनी को जबरन

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.03.04 15:00:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

डरा धमका कर प्रार्थिनी को असलहे की नोक पर जबरन मोटर साइकिल पर बैठाकर मलियाना टोला स्थित अपने कमरे पर ले गया, जहाँ प्रार्थिनी के साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाया और प्रार्थिनी को पुनः अपने घर भंगवा ले गया, जहाँ उसकी माँ, बहन व भाई आदि ने मिलकर प्रार्थिनी को कमरे में बन्द कर दिया। दिनांक–19.12.2025 तक कमरे में बन्द रखा और जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। दिनांक–19.12.2025 को दोपहर लगभग 2:00 बजे सुनील अपने दो साथियों को लेकर आया और प्रार्थिनी को उन लोगों के साथ सम्बन्ध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। प्रार्थिनी मौका पाकर कमरे से निकल कर सगरा भाग आयी। सुनील उर्फ मैचू प्रार्थिनी के सगरा चकबनतोड स्थित मकान पर लाठी लेकर आया और प्रार्थिनी का गला दबाकर जान से मारने की नियत दबा दिया और भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए लात, घूसों एवं डण्डों से मारा–पीटा और किसी गर्म धातु से प्रार्थिनी को जला दिया। प्रार्थिनी के माँ व घर के अन्य लोगों के आने पर प्रार्थिनी की जान बची। अभियुक्त सुनील जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग गया। सुनील ने पूर्व में भी घटना कारित किया था, जिसकी सूचना पुलिस चौकी भंगवा जाकर दिया गया था। प्रार्थिनी ने सुनील को कई बार समझाया, कि वह शादीशुदा है और उसके एक पुत्र भी है, जो पहले सम्बन्ध थे, वह सब समाप्त हो चुके हैं। चूंकि प्रार्थिनी के पति एवं पुत्र के साथ रहना चाहती है। पूर्व में जो भी वीडियो और फोटो अभियुक्त द्वारा लिये गये हैं, वह उन्हें बार–बार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है और प्रार्थिनी के वाट्सअप पर भद्दी–भद्दी गालियाँ वाइस मैसेज द्वारा भेज रहा है और प्रार्थिनी की माँ के नम्बर पर भी भद्दी–भद्दी गालियाँ जरिये वाइस मैसेज भेज रहा है। अभियुक्त सुनील गांजा एवं स्मैक की तस्करी भी करता है। प्रार्थिनी को सुनील व उसके परिवार वालों के जान का खतरा बना हुआ है, वह कभी भी प्रार्थिनी की हत्या कर व करवा सकता है।

3. **जमानत प्रार्थना पत्र** में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी बेकसूर है, उसे असत्य कथनों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी को पेशाबंदी में प्रार्थी से धन उगाही के लिए प्रार्थी को उक्त वाद में अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दी गयी सभी बातें पूर्णतः असत्य व निराधार है। प्रार्थी के ऊपर इसके अतिरिक्त अन्य कोई अपराधिक मुकदमा किसी भी थाने या किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी का यह प्रथम प्रार्थनापत्र जमानत है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थनापत्र जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में न प्रस्तुत किया गया है, न लम्बित है और न ही खारिज हुआ है। प्रार्थी के पास पर्याप्त मात्रा में चल अचल संपत्ति है, पलायन करने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत मुचलका देने के लिए तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किया जाये।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। फर्जी तरीके उसे अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–08.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है और जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)/अभियोगिनी मुकदमा द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता/अभियोगिनी मुकदमा को असलहे की नोक पर जबरन मोटर साइकिल पर बैठाकर अपने कमरे पर ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाया एवं कमरे में बन्द रखा व जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा तथा अपने दो साथियों को लेकर आया और उन लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। अभियुक्त द्वारा अभियोगिनी मुकदमा के साथ असलहे के नोक पर अश्लील वीडियों बनाया गया और जबरन संबंध बनाया गया। अभियुक्त का यह अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित करेगा। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)/अभियोगिनी मुकदमा को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. **प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि** आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोगिनी मुकदमा के साथ जबरन शारिरिक संबंध बनाने तथा अश्लील विडियों बनाने तथा अश्लील विडियो वायरल करने की धमकी देकर बार–बार शारीरिक संबंध बनाने एवं व्हाट्सप पर भद्दी–भद्दी गालियां व जरिए वाइस मैसेज भेजने का आरोप है। अभियोगिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में घटना का समर्थन करते हुए कथन किया है कि– सुनील सरोज अपने घर बुलाया, मेरे साथ गलत काम किया, फिर वीडियो लगाया था। उस वीडियो को लेकर बार–बार धमकी देता था कि बुलाने पर नहीं आओगी तो यह वीडियो वायरल कर देंगे, डाल देगें। कई बार ऐसा कर चुका था, हम कुछ बोले नहीं, डर की वजह से। जब हम विरोध करने लगे तो फिर वही मार पीट करने लगता था, फिर वही वीडियो की धमकी देने लगता था। अभी जल्दी में 1 तारीख को वीडियो डाला भी था फेसबुक पर इंस्ट्राग्राम पर, धमकी भी दे रहा था। हमेशा धमकी देता हैं कि उसका कहा नही मानेंगे तो वायरल कर देगा। अभियोगिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में बताया है कि– 15/12/25 को मैं सुनील सरोज उर्फ मैचू के घर पर थी वो मुझे ले गया था अपने साथ, उसके पहले मैं गनियान टोला सिटी में है किराए का कमरा लेकर सुनील सरोज के साथ रहती थी, वहां से वह मुझे अपने घर भगवा 15/12/25 तारीख को ले गया था शादी के लिए, सुनील ने मेरे साथ गलत किया मेरा शारीरिक शोषण किया मेरे साथ बलात्कार किया, मेरा वीडियो भी सुनील सरोज ने बनाया था, उसने मुझे वीडियो स्वयं दिखाया था, मुझे नहीं मालूम की वीडियो कब बनाया था, वीडियो के चलते मुझे धमकी देता है कि वायरल कर देंगे, कहता है अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो वीडियो वायरल कर देंगे, पहले भी वीडियो बनाया था 2021 से ऐसा ही करता चला आ रहा है मुझे जान से मारने की धमकी भी दिया है और जान से मारने की कोशिश भी कर चुका है। शादी करने से अब मना करता है। पीडिता के बयानों, मेडिकल व अन्य प्रपत्रों के अनुसार मामला गम्भीर प्रकृति का है एवं अश्लील विडियो वायरल करने एवं

जान से मारने की धमकी देकर बार–बार बलात्कार करने से संबंधित है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर कोई विचार किये अभियुक्त का मामला जमानत के लिये उपयुक्त नहीं है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र **खारिज** किये जाने योग्य है।

आदेश

8. आवेदक/अभियुक्त **सुनील उर्फ मैचू** की ओर से मु०अ०सं०–11/2026, धारा–64(2)(m), 352, 127(2), 351(2), 115(2)बी.एन.एस. व 67 आई.टी.एक्ट, थाना–कोतवाली नगर, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **खारिज** किया जाता है।

दिनाँक–06.03.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट),
प्रतापगढ़।